भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1819

(मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)

पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विशिष्ट कानून

1819 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट कानून लाने पर विचार कर रहा है ताकि उनके कार्यों में पारदर्शिता बढ़े और कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो, जिससे वित्तीय संस्थानों या बैंकों के लिए भ्रामक रिपोर्ट जारी होने से बचा जा सके, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने तंजानिया, युगांडा, मलावी, जाम्बिया और केन्या जैसे देशों के प्रासंगिक कानूनों के साथ-साथ ब्रिटेन की परिपाटियों की समीक्षा की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हम प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के रिपोर्टों की विश्वसनीयता बढ़ाने और इस संबंध में भ्रामक जानकारी के जोखिम को कम करने हेतु कार्यनीतियों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) वर्तमान में, प्रमाणित मूल्यांककों के लिए किसी विशिष्ट कानून का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, उनके कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कानूनी मानकों के पालन की गारंटी देने के लिए 'कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियम, 2017' पहले से ही लागू हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों या बैंकों के लिए भ्रामक रिपोर्ट जारी किए जाने से बचा जा सके। इन नियमों में अनुशासन समिति द्वारा गलती करने वाले प्रमाणित मूल्यांककों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रावधान हैं।

(ख) जी नहीं।

*****